UPPB010081102022

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत

पीठासीन अधिकारी–रविन्द्र कुमार–चतुर्थ, एच0जे0एस0–UPID2014

सत्र वाद संख्या–1643/2022

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन पक्ष

बनाम

1–शंकर लाल पुत्र मिश्री लाल,
2–पप्पू,
3–विनोद,
4–हरनाम पुत्रगण शंकर लाल,
सर्व निवासीगण ग्राम–बरूआ कुठारा, थाना–माधौटाण्डा, जिला–पीलीभीत।
...........अभियुक्तगण

मुकदमा अपराध संख्या–149/2020
अन्तर्गत धारा–304, 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता
थाना–माधौटाण्डा, जिला–पीलीभीत।

निर्णय

1. इस मामले में थाना–माधौटाण्डा, जिला–पीलीभीत की पुलिस द्वारा विवेचनोपरान्त, मुकदमा अपराध संख्या–149/2020, दिनांकित–21.06.2020 के मामले में अभियुक्तगण शंकर लाल, पप्पू, विनोद एवं हरनाम के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–304, 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप–पत्र संख्या–152/2020, दिनांकित–10.07.2020 प्रेषित किये जाने पर यह मामला संस्थित हुआ। मामला सत्र परीक्षणीय होने के कारण, तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा अभियुक्त की पत्रावली दिनांक–03.11.2022 को इस न्यायालय को सुपुर्द की गई।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा हरीशचन्द्र पुत्र रामभरोसे, निवासी ग्राम–बरूआ कुठाराह, थाना–माधौटाण्डा, जिला–पीलीभीत, के द्वारा दिनांक–21.06.2020 को प्रभारी निरीक्षक थाना–माधौटाण्डा, जिला–पीलीभीत को इस आशय की तहरीर दी गई है कि दिनांक–21.06.2020 को समय करीब पांच बजे शाम उसके पिता रामभरोसे अपने आम के पेड़ की रखवाली कर रहे थे तभी उसके गावं के शंकर लाल, हरनाम, विनोद एवं पप्पू अपने हाथों में लाठी–डण्डे लेकर आये और गन्दी–गन्दी गालियां देने लगे। उसके पिता ने गाली देने से मना किया तो लाठी–डण्डों से मारने पीटने लगे जिससे उनके शरीर पर काफी चोटें आयीं और बेहोश होकर गिर पड़े। शोर सुनकर उसका भाई ओम प्रकाश बचाने पहुंचा तो उसे भी लाठी–डण्डों से मारा–पीटा जिससे उसके शरीर पर भी चोटें आयी हैं। हस्तलिखित तहरीर दिनांकित– 21.06.2020, पत्रावली पर **प्रदर्श क**–1 के रूप में मौजूद है।

3. वादी मुकदमा हरीशचन्द्र द्वारा प्रस्तुत तहरीर **प्रदर्श क**–1, के आधार पर दिनांक–21.06.2020 को ही समय 21:23 बजे, थाना–माधौटाण्डा, जिला–पीलीभीत पर मुकदमा अपराध

Digitally signed by RAVINDRA KUMAR
Date: 2026.06.05 16:32:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

संख्या–149/2020, अन्तर्गत धारा–308, 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता, के अन्तर्गत अभियुक्तगण शंकर लाल, पप्पू, विनोद एवं हरनाम के विरूद्ध पंजीकृत किया गया जो चिक/एफ0आई0आर0 पत्रावली पर **प्रदर्श क**–2 के रूप में मौजूद है। दौरान ईलाज मजरूब रामभरोसे की मृत्यु होने के कारण मामले में धारा–308 भारतीय दण्ड संहिता का विलोपन कर धारा–304 भारतीय दण्ड संहिता की बढ़ोत्तरी की गई।

4. दिनांक–06.01.2023 को इस न्यायालय के पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण शंकर लाल, पप्पू, विनोद एवं हरनाम के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–304/34, 323/34, 504 भारतीय दण्ड संहिता, में विरचित किये गयें। अभियुक्तगण ने आरोपों से इनकार कर, विचारण की मांग की।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा, इस मामले के अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध, आरोप व अपने कथानक को साबित करने के लिए **मौखिक साक्ष्य** के रूप में:–

पी0डब्लू0–1 हरीशचन्द्र जो इस मामले में वादी मुकदमा व इस प्रकरण के चुटैल/मृतक रामभरोसे का पुत्र है, जिसने इस प्रकरण की तहरीर दिनांकित–21.06.2020 को **प्रदर्श क**–1 के रूप में साबित किया है,

पी0डब्लू0–2 रिटायर्ड एस0आई0 करन सिंह, जो कि औपचारिक साक्षी हैं और इनके द्वारा चिक/एफ0आई0आर को **प्रदर्श क**–2 व जी0डी0 कायमी मुकदमा को **प्रदर्श क**–3 के रूप में साबित किया गया है,

पी0डब्लू0–3 ओमप्रकाश, जो कि वादी मुकदमा/**पी0डब्लू0**–1 हरीशचन्द्र का सगा भाई एवं इस प्रकरण के चुटैल/मृतक रामभरोसे का पुत्र है,

पी0डब्लू0–4 उप–निरीक्षक अजयवीर सिंह, जो कि इस प्रकरण के विवेचक एवं "पंचायतनामा" की कार्यवाहीकर्ता है, जिनके द्वारा नक्शानजरी घटना स्थल दिनांकित–03.07.2020 को **प्रदर्श क**–4, फर्द बरामदगी घटना में प्रयुक्त दो अद्द बांस की लाठी दिनांकित–23.06.2020 को **प्रदर्श क**–5, आरोप–पत्र दिनांकित–10.07.2020 को **प्रदर्श क**–6, पंचायतनामा दिनांकित–22.06.2020 को **प्रदर्श क**–7, शव–परीक्षण सम्बंधी प्रपत्र चालान–नाश को **प्रदर्श क**–8, फोटो–नाश को **प्रदर्श क**–9, नमूना–मोहर को **प्रदर्श क**–10, चिट्ठी–आर0आई0 को **प्रदर्श क**–11, चिट्ठी–सी0एम0ओ0 को **प्रदर्श क**–12 के रूप में साबित किया गया है, इस साक्षी ने **वस्तु प्रदर्श**–1 ता0 4 सफेद कपड़े, बड़ी लाठी एवं छोटी लाठी को प्रस्तुत कर/साबित किये हैं,

पीडब्लू0–5 सिरोजा देवी पत्नी नन्हेलाल, जो वादी मुकदमा/**पी0डब्लू0**–1 हरीशचन्द्र व **पी0डब्लू0**–3 ओमप्रकाश की भाभी एवं इस प्रकरण के चुटैल/मृतक रामभरोसे की पुत्रवधू है,

पी0डब्लू0–6 डाक्टर निशीकान्त गुप्ता, जिन्होंने इस प्रकरण के चुटैल/मृतक रामभरोसे का पोस्टमार्टम कर उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिनांकित–22.06.2020, को **प्रदर्श क**–13, के रूप में साबित किया है।

शेष अभियोजन प्रपत्र "चुटैल/मृतक रामभरोसे की मेडिकल रिपोर्ट दिनांकित–21.06.2020 की, औपचारिक सत्यता बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार की गई, तद्नुसार इस

प्रपत्र पर **प्रदर्श क**–14 डाला गया।

दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में:–

प्रदर्श क–1 हस्तलिखित तहरीर दिनांकित–21.06.2020 जो कि वादी मुकदमा हरीशचन्द्र द्वारा साबित, जिसमें घटना का दिनांक–21.06.2020 व समय करीब 5:00 बजे शाम बताया गया है,

प्रदर्श क–2 चिक/एफ0आई0आर0 दिनांकित–21.06.2020 जिसमें घटना का समय करीब 5:00 बजे शाम व थाने पर सूचना का समय 21:15 बजे दिखाया गया है, जो इस इस मामले से सम्बन्धित है, अन्तर्गत धारा–308, 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता, थाना–माधौटाण्डा, जिला–पीलीभीत पर अभियुक्तगण शंकर लाल, पप्पू, विनोद एवं हरनाम के विरूद्ध नामजद दर्ज,

प्रदर्श क–3 इस मामले से सम्बन्धित मुकदमा कायमी दिनांकित–21.06.2020 जी0डी0, नम्बर–38,

प्रदर्श क–4 इस मामले से सम्बन्धित ''नक्शा–नजरी घटनास्थल'' दिनांकित–03.07.2020 जिसमें विवेचक/**पी0डब्लू0**–4 उपनिरीक्षक अजयवीर सिंह द्वारा चिन्ह **A** से वह स्थान दर्शाया गया है जहां मार–पीट होना बताया गया, चिन्ह ––> से अभियुक्तगण के आने–जाने का रास्ता दर्शाया गया है,

प्रदर्श क–5 फर्द बरामगी दिनांकित–23.06.2020 बाबत लेने कब्जा पुलिस घटना में प्रयुक्त दो अद्द बांस की लाठी,

प्रदर्श क–6 इस मामले से सम्बन्धित आरोप–पत्र संख्या–152/2020, दिनांकित–10.07.2020, विरूद्ध अभियुक्तगण शंकर लाल, पप्पू, विनोद एवं हरनाम, अन्तर्गत धारा–304, 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता में प्रस्तुत है,

प्रदर्श क–7 इस मामले से सम्बन्धित ''पंचायतनामा'' दिनांकित–22.06.2020 बाबत् चुटैल/मृतक रामभरोसे, जिसमें राय पंचान के अनुसार ''रामभरोसे मृतक की मृत्यु लड़ाई में आई चोटों से'' होना बताया गया है,

प्रदर्श क–8 इस मामले से सम्बन्धित चालान–नाश,

प्रदर्श क–9 इस मामले से सम्बन्धित फोटो–नाश,

प्रदर्श क–10 इस मामले से सम्बन्धित नमूना–मोहर,

प्रदर्श क–11 इस मामले से सम्बन्धित चिट्ठी–आर0आई0,

प्रदर्श क–12 इस मामले से सम्बन्धित चिट्ठी–सी0एम0ओ0,

प्रदर्श क–13 ''पोस्टमार्टम'' रिपोर्ट दिनांकित–22.06.2020 जिसमें मृतक रामभरोसे के शव की ऊंचाई 163 से0मी0, शारीरिक बनावट छरहरा व दुर्बल कद–काठी होने, शव पर कुल वस्तु व वस्त्र 3 नंग होने, दोनों आंखें व मुंह बन्द होने, नाख कि दोनों नथुनों में खून जमा होने, शव पर ऊपरी अंगों में अकड़न मौजूद होने और नीचे अंगों में आ रही होने, शव का तापमान वातावरण के अनुकूल होने, मृतक के बायें हाथ की कलाई पर कैनुला लगा होने तथा पट्टी बंधी होने,

बाह्य चोटेः– 1–दायें सिर की तरफ खुरसट जिसका आकार 1.5 x 1 से0मी0 जिसके चारों ओर ट्रॉमेटिक सूजन जिसका आकार 6 x 5 से0मी0 होने जो दाहिने कान से 7 से0मी0 ऊपर होने,
2–सीने के बीचों–बीच एक नीलगू चोट जिसका आकार 6 x 4 से0मी0 जो निप्पल से 7 से0मी0 नीचे होने,
3–एक खुरसट जिसका आकार 5 x 2 से0मी0 दाहिनीं कमर की ओर होने,
4–एक खुरसट जिसका आकार 2 x 1 से0मी0 सीने की दायीं तरफ होने,
5–एक खुरसट जिसका आकार 2 x 1 से0मी0 दायें पैर के आगे की ओर घुटने के ऊपर होने,
6–एक खुरसट जिसका आकार 1.5 x 1 से0मी0 बायें बक्खे के नीचे होने,

आन्तरिक परीक्षणः– एक बड़ा हीमोटोमा जो सिर के दाहिनीं ओर टेम्पोरल एरिया में होने, एक बड़ा हीमोटोमा मस्तिष्क के अन्दर दायीं तरफ होने, मस्तिष्क का वजन 1000 ग्राम कन्जेस्टेड होने, दाहिना फेफड़ा 450 ग्राम व बायां फेफड़ा 400 ग्राम का होने, गुर्दे का दाहिना कक्ष भरा होने व बायां खाली होने, अमाशय की झिल्ली समान होने, अमाशय में 50 एम0एल0 द्रव्य मौजूद होने, छोटी आंत में कायम और गैस मौजूद होने म्यूकोसा कन्जेस्टेड होने, बड़ी आंत में मल और गैस मौजूद होने, लीवर का वजन 1000 ग्राम होने, गॉल ब्लेडर भरा होने, प्लीहा का वजन 160 ग्राम व पीलीमा लिए होने, दाहिनें व बायें गुर्दे का वजन 100–100 ग्राम व प्लीहा लिए होने,

मृत्यु का सम्भावित समय व कारणः– मेडिकल प्रपत्रों के आधार पर दिनांक–22.06.2020 को 2:30 ए0एम0 पर होने, मृत्यु का तात्कालिन कारण मृत्यु पूर्व सिर में आयी चोट से उत्पन्न शॉक एण्ड कोमा से होना अंकित है,

प्रदर्श क–14 इस मामले से सम्बन्धित चुटैल / मृतक रामभरोसे की मेडिकल रिपोर्ट दिनांकित–21.06.2020 जिसमें घायल को तीन चोटें आना बतायी गई है,

वस्तु प्रदर्शः–

वस्तु प्रदर्श–1 बड़ी लाठी का सफेद कपड़ा,
वस्तु प्रदर्श–2 छोटी लाठी का सफेद कपड़ा,
वस्तु प्रदर्श–3 बड़ी लाठी,
वस्तु प्रदर्श–4 छोटी लाठी,

6. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा–351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दिनांक–01.05.2026 को अंकित किये गये, जिनमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत होने, गलत तथ्यों पर आरोप–पत्र प्रेषित करने, **पी0डब्लू0**–1 की साक्ष्य के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहने, **पी0डब्लू0**–2 को औपचारिक साक्षी होने व गलत

साक्ष्य होने, **पी0डब्लू0**–3 की साक्ष्य के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहने, **पी0डब्लू0**–4 की साक्ष्य गलत होने, **पी0डब्लू0**–5 की साक्ष्य के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहने, **पी0डब्लू0**–6 औपचारिक साक्षी होने व गलत साक्ष्य होने का कथन किया है तथा अभियुक्तगण के द्वारा यह भी कथन किया गया कि गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा चलाया गया है, जनसाक्षियों द्वारा उनके खिलाफ कोई कथन नहीं किया गया है, वे निर्दोष हैं।

अभियुक्तगण द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में कोई मौखिक / दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने से इनकार किया गया है।

7. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का भली–भॉति अवलोकन व परिशीलन किया गया।

8. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा दौरान बहस कहा गया है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के पिता / चुटैल / मृतक रामभरोसे को गन्दी–गन्दी गालियां दी गई जब मृतक रामभरोसे द्वारा गाली देने से मना किया गया तो अभियुक्तगण ने उसके साथ लाठी–डण्डों से मारपीट की जिससे उसको गम्भीर चोटें आयीं और दौरान उपचार दिनांक–22.06.2020 को समय 2:30 बजे वादी मुकदमा के पिता रामभरोसे की जिला अस्पताल, पीलीभीत में मृत्यु हो गई। इसके सम्बन्ध में वादी मुकदमा हरीशचन्द्र द्वारा इस प्रकरण में तहरीर **प्रदर्श क–1** दी गयी जिसके आधार पर थाना–माधौटाण्डा, जिला–पीलीभीत पर घटना की दिनांक–21.06.2020 को समय 21:15 बजे वर्तमान अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई। अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के पिता रामभरोसे को गम्भीर चोटें पहुंचाकर उनका आपराधिक / सदोष मानव वध कारित किया गया है। दौरान विवेचना प्रकरण में अभियुक्तगण से घटना में प्रयुक्त बांस की दो लाठियों की बरामदगी की गई है। अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि तथ्य के साक्षीगण **पी0डब्लू0**–1 हरीशचन्द्र वादी मुकदमा, **पी0डब्लू0**–3 ओमप्रकाश एवं **पी0डब्लू0**–5 सिरोजा देवी के साक्ष्य से घटना / मामला अभियुक्तगण के विरूद्ध साबित है। यह मामला अभियुक्तगण के विरूद्ध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, उपलब्ध दस्तावेज से पूर्णतया सभी युक्ति–युक्त संदेहों से परे, साबित है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर दण्डित किये जाने की याचना की गई है।

9. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस तर्क दिया गया है कि तहरीर के कथन, अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये तथ्य के साक्षियों द्वारा किये गये कथनों से पूर्णतया असंगत व अविश्वसनीय हैं। अभियोजन कथानक सर्वथा असत्य है। अभियोजन पक्ष यह भी साबित नहीं कर पाया है कि अभियुक्तगण के द्वारा ही वादी मुकदमा के पिता रामभरोसे मृतक, का हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध कारित किया गया है। तथ्य के साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। मृतक घटना वाले दिन आम के बाग की रखवाली कर रहे थे। बारिश के साथ तेज आंधी चलने लगी जिससे मृतक के ऊपर एक आम के पेड़ की मोटी शाखा टूट कर गिर गयी थी जिससे मृतक के चोटें आयीं थी और उन्हीं चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित नहीं होते हैं। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जा कर, उनके विरूद्ध लगे आरोपित अपराध से उन्हें दोषमुक्त किया जाये।

निष्कर्ष

10. इस मामले में अब न्यायालय को मुख्य रूप से यह देखना है कि:–

क्या अभियुक्तगण शंकर लाल, पप्पू, विनोद एवं हरनाम, ने एक राय होकर अपने सामान्य आशय के अग्रसारण में वादी मुकदमा हरीशचन्द्र के, पिता रामभरोसे को दिनांक–21.06.2020 को गन्दी–गन्दी गालियां दी तथा उनको स्वेच्छया लाठी–डण्डों से मारपीट कर, उपहति कारित की, जिससे वादी मुकदमा के पिता रामभरोसे बउम्र 65 वर्ष की दिनांक–22.06.2020 को उपचार के दौरान, जिला अस्पताल, पीलीभीत में मृत्यु हो गयी ? क्या ऐसा करके अभियुक्तगण ने हत्या की कोटि में न आने वाला सदोष मानव वध का अपराध कारित किया गया है ?

11. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने कथानक व उपरोक्त निर्णायक बिन्दु के सापेक्ष **पी0डब्लू0**–1 के रूप में हरीशचन्द्र, जो कि इस प्रकरण में वादी मुकदमा तथा इस मामले के मृतक रामभरोसे का पुत्र है, को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि घटना लगभग सवा दो वर्ष पूर्व की है। घटना वाले दिन उसके पिता रामभरोसे आम के बाग की रखवाली कर रहे थे। उसी दिन रात को तेज आंधी आ जाने के कारण आम के पेड की मोटी शाखा गिर गयी जिसके नीचे उसके पिता जी आ गये थे और उनको चोटें लग गयी थी। आंधी आने पर वह अपने पिता को देखने अपने भाई ओम प्रकाश के साथ बाग में पहुंचा तो उस समय तेज हवा चल रही थी पिता को डाल के नीचे से निकाल रहे थे उसी समय एक डाल उसके भाई ओम प्रकाश पर भी गिर गयी जिससे उसके भाई को भी चोटें आयीं थी। उसके भाई व पिता को अभियुक्तगण ने नहीं मारा था। लोगों के उकसावे में आकर उसने थाने में शिकायत दर्ज करा दी थी। उसके द्वारा थाने पर प्रस्तुत तहरीर **प्रदर्श क**–1 को साबित किया गया है।

न्यायालय द्वारा पूछताछ करने पर इस साक्षी ने कहा है कि आंधी करीब चार–पांच बजे आयी थी। बाग में उस समय उसके पिता रामभरोसे अकेले थे। वह और उसका भाई ओमप्रकाश आंधी के कारण घर में बाहर रखे ईधन व कण्डे / उपलों को घर में रखने लगे थे फिर आंधी तेज होने के कारण वह अपने पिता को देखने बाग में पहुंचा था। जब वह व उसका भाई बाग में पहुंचे तो उसने देखा कि उसके पिता रामभरोसे डाल के नीचे दबे थे। उकसाने वाले लोग गांव के व रिश्तेदार थे। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। इस साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा अभियोजन पक्ष को उससे जिरह करने की अनुमति दी गयी। जिसमें इस साक्षी ने विवेचक को दिये गये अपने बयान अन्तर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता से भी इनकार किया है। इस साक्षी ने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि उसके पिता रामभरोसे की आम के बाग की रखवाली करते समय अभियुक्तगण ने गन्दी–गन्दी गालियां दी हो और उनके मना करने पर सभी अभियुक्तगण ने एक राय होकर लाठी–डण्डों से मारपीट कर चोट पहुंचायी हों। इस साक्षी ने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि पिता के चिल्लाने पर वह और उसका भाई ओमप्रकाश बचाने पहुंचे तो ओमप्रकाश को भी मारापीटा हो। इस साक्षी ने इन सुझावों से भी इनकार किया है कि अभियुक्तगण द्वारा पहुंचायी गयी चोटों के कारण उसके पिता की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी हो और आला–कत्ल डण्डों की बरामदगी अभियुक्तगण की निशानदेही पर हुई हो तथा अभियुक्तगण द्वारा उस पर व उसके परिवार पर हत्या का मुकदमा दर्ज करा देने के कारण व राजीनामा हो जाने के कारण वह सही बात नहीं बता रहा है।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने कहा है कि वह पहुंचा तो उसके पिताजी डाल के नीचे बेहोशी की हालत में दबे पड़े थे और बोल नहीं पा रहे थे।

12. **पी0डब्लू0**–2 तत्कालीन हेड मोहर्रिर / उपनिरीक्षक करन सिंह जो औपचारिक साक्षी

है तथा इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य से प्रथम सूचना रिपोर्ट को **प्रदर्श क**–2 व कायमी मुकदमा जी0डी0 को **प्रदर्श क**–3 के रूप में साबित किया है।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने कहा है कि मजरूबान के शरीर पर कोई गम्भीर चोट थी या नहीं, उसे नहीं पता। उसने मजरूबान के डाक्टरी मुआयना के लिए कोई चिट्ठी मजरूबी तैयार की अथवा नहीं, उसे नहीं पता। पत्रावली पर कोई चिट्ठी मजरूब उपलब्ध नहीं है।

13. **पी0डब्लू0**–3 ओमप्रकाश, जो वादी मुकदमा/**पी0डब्लू0**–1 हरीशचन्द्र का भाई एवं इस प्रकरण के चुटैल/मृतक रामभरोसे का पुत्र है, ने भी अपने साक्ष्य में **पी0डब्लू0**–1 के कथनों का ही समर्थन किया है और इस साक्षी ने भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है।

बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जिरह नहीं की गई है।

14. **पी0डब्लू0**–4 तत्कालीन उपनिरीक्षक अजयवीर सिंह, थाना–माधौटाण्डा, जिला–पीलीभीत, जो कि इस प्रकरण के विवेचक/पंचायतनामा कार्यवाहीकर्ता है, इस साक्षी ने नक्शा–नजरी घटनास्थल दिनांकित–03.07.2020 को **प्रदर्श क**–4, फर्द बरामदगी लेने कब्जा पुलिस घटना में प्रयुक्त दो अद्द बांस की लाठी दिनांकित–23.06.2020 को **प्रदर्श क**–5, आरोप–पत्र संख्या–152/2020, दिनांकित–10.07.2020 को **प्रदर्श क**–6, पंचायतनामा दिनांकित–22.06.2020 को **प्रदर्श क**–7, शव–परीक्षण सम्बंधी प्रपत्र चालान–नाश को **प्रदर्श क**–8, फोटो–नाश को **प्रदर्श क**–9, नमूना–मोहर को **प्रदर्श क**–10, चिट्ठी–आर0आई0 को **प्रदर्श क**–11, चिट्ठी–सी0एम0ओ0 को **प्रदर्श क**–12 के रूप में साबित किया है तथा इस साक्षी ने बड़ी लाठी के सफेद कपड़े को **वस्तु प्रदर्श**–1, छोटी लाठी के सफेद कपड़े को **वस्तु प्रदर्श**–2, बड़ी लाठी को **वस्तु प्रदर्श**–3 एवं छोटी लाठी को **वस्तु प्रदर्श**–4 प्रस्तुत कर/साबित किये हैं,

बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने कहा है कि कथित रूप से बरामद डण्डों में खून नहीं लगा था और न ही उसने डण्डे विशेषज्ञ की जांच के लिए भेजे थे। फर्द **प्रदर्श क**–5 में जनता का कोई गवाह नहीं है। बरामद डण्डों की लम्बाई–गोलाई, फीट या इंच में उसने नहीं लिखी। पंचायतनामा का कोई भी गवाह कथित घटना का चक्षुदर्शी गवाह नहीं है। उसने विवेचना में किसी निष्पक्ष साक्षी का कोई बयान नहीं लिया था और न ही किसी निष्पक्ष व्यक्ति ने घटना का समर्थन किया था।

15. **पी0डब्लू0**–5 सिरोजा देवी पत्नी नन्हेलाल, जो वादी मुकदमा/**पी0डब्लू0**–1 हरीशचन्द्र, **पी0डब्लू0**–3 ओमप्रकाश की भाभी एवं इस प्रकरण के चुटैल/मृतक रामभरोसे की पुत्रवधू है, ने भी अपने साक्ष्य में **पी0डब्लू0**–1 एवं **पी0डब्लू0**–3 के कथनों का ही समर्थन किया है और इस साक्षी ने भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने कहा है कि वह अनपढ़ है, घड़ी देखना नहीं जानती है इसलिए आंधी आने का सही समय उसे नहीं मालूम, लेकिन आंधी आने के दो–ढाई घण्टे बाद दिन छिपने लगा था।

16. **पी0डब्लू0**–5 डॉक्टर निशीकान्त गुप्ता जो चिकित्सक साक्षी है तथा इस साक्षी ने मृतक रामभरोसे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिनांकित–22.06.2020 को **प्रदर्श क**–13 के रूप में

साबित किया है।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने कहा है कि यह हीमोटोमा है, किसी चीज से टकराने या गिरने से आ सकता है। बाकि चोटें गिरने से व रगड़ने से आ सकती हैं। चोट नम्बर–2 व 6 तक साधारण चोटें हैं।

17. इस मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा तथ्य के कुल 03 (तीन) साक्षीगण परीक्षित कराये गये हैं और इन सभी साक्षीगण **पी0डब्लू0**–1 वादी मुकदमा हरीशचन्द्र, जो इस प्रकरण के मृतक रामभरोसे का पुत्र है, **पी0डब्लू**–3 ओमप्रकाश, जो वादी मुकदमा/**पी0डब्लू0**–1 हरीशचन्द्र का भाई व इस प्रकरण के मृतक रामभरोसे का पुत्र है, **पी0डब्लू0**–5 सिरोजा देवी जो वादी मुकदमा/**पी0डब्लू0**–1 हरीशचन्द्र, **पी0डब्लू0**–3 ओमप्रकाश की भाभी एवं इस प्रकरण के चुटैल/मृतक रामभरोसे की पुत्रवधू है, ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। तथ्य के इन साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में साफतौर पर एवं एक स्वर में कहा है कि मृतक घटना वाले दिन आम के बाग की रखवाली कर रहे थे। बारिश के साथ तेज आंधी चलने लगी जिससे मृतक के ऊपर आम के पेड़ की मोटी शाखा टूट कर गिर गयी जिससे मृतक के चोटें आयीं और उन्हीं चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कथित घटना में अभियुक्तगण का कोई हाथ नहीं है। वादी मुकदमा द्वारा रिश्तेदारों एवं गांव के लोगों के उकसावे में आकर अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया गया था। इस प्रकरण में तथ्य के सभी साक्षीगण ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और इन साक्षीगण से अभियोजन पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में भी ऐसा कोई तथ्य उजागर नहीं हुआ, जिससे अभियोजन पक्ष को कोई विश्वसनीय बल/लाभ मिलता हो।

18. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य से इस न्यायालय की राय, में अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा–304 सपठित 34, 323 सपठित 34, 504 भारतीय दण्ड संहिता के जो आरोप लगाये गये हैं, उन्हें अभियुक्तगण के विरूद्ध सभी युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अर्थात् अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित नहीं किया जा सका कि अभियुक्तगण द्वारा ही कथित अपराध कारित किया गया हो। ''अभियोजन पक्ष को अपना मामला अभियुक्तगण के विरूद्ध विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत कर, सभी युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित करना होता है।'' 'केवल संदेह के आधार पर, विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में, अभियुक्तगण को सजा नहीं दी जा सकती'।

अभियुक्तगण द्वारा एक चुटैल आख्या की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गई है, केवल इसी आधार पर अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध करते हुए, दण्डित किया जाना युक्ति–युक्त एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, विशेषकर उन परिस्थितियों में जब अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराए गए तथ्य के सभी साक्षीगण के साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध अरोपित अपराध सिद्ध नहीं होते हों।

19. माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **बाबूराम इत्यादि बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 2008 (2) एस.सी.सी. (क्रिमिनल) 727** में सम्मानित विधि व्यवस्था में कहा गया है कि ''दाण्डिक परीक्षण के वाद में अभियोजन के द्वारा अपने कथानक को संदेह से परे सिद्ध करना आवश्यक होता है। यदि अभियोजन पक्ष अपने कथानक को अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे सिद्ध नहीं कर पाता है तो अभियुक्त को दोषमुक्त किया जायेगा। ''

20. इसी क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **'एम0एस0 रॉय बनाम बंगाल राज्य' (2003)12 एस0सी0सी0 337** के मामले में अवधारित कर कहा गया है। इसके अलावा **'बिशनदास बनाम पंजाब राज्य' ए0आई0आर0 1975 एस0सी0 573** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित कर कहा गया है कि "Prosecution must prove its case. Even silence of accused is of no consequence."

21. इस प्रकार, इस मामले में अभियोजन पक्ष इस प्रकरण के मुख्य निर्णायक बिन्दु किः–

क्या अभियुक्तगण शंकर लाल, पप्पू, विनोद एवं हरनाम, ने एक राय होकर अपने सामान्य आशय के अग्रसारण में वादी मुकदमा हरीशचन्द्र के, पिता रामभरोसे को दिनांक–21.06.2020 को गन्दी–गन्दी गालियां दी तथा उनको स्वेच्छया लाठी–डण्डों से मारपीट कर, उपहति कारित की, जिससे वादी मुकदमा के पिता रामभरोसे बउम्र 65 वर्ष की दिनांक–22.06.2020 को उपचार के दौरान, जिला अस्पताल पीलीभीत में मृत्यु हो गयी ? क्या ऐसा करके अभियुक्तगण ने हत्या की कोटि में न आने वाला सदोष मानव वध का अपराध कारित किया गया है ?, को अपने पक्ष में, व इस मामले के अभियुक्तगण के विरूद्ध सभी युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित करने में असफल रहा है।

22. परिणामतः इस प्रकरण में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियुक्तगण शंकर लाल पुत्र मिश्री लाल, पप्पू पुत्र शंकर लाल, विनोद पुत्र शंकर लाल, हरनाम पुत्र शंकर लाल, को आरोपित आरोप अंतर्गत धारा–304 सपठित 34, 323 सपठित 34, 504 भारतीय दण्ड संहिता, से विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

22. इस प्रकरण में, वादी मुकदमा हरिशचन्द्र द्वारा प्रस्तुत की गयी हस्तलिखित तहरीर **प्रदर्श क**–1, में वर्णित अपराध सम्बन्धी कथनों के सापेक्ष, इस न्यायालय के समक्ष अपनी साक्ष्य में उक्त कथनों का समर्थन नहीं किया गया है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऐसा करके वादी मुकदमा ने इस न्यायालय की राय में, न्यायालय के समक्ष असत्य कथन कर, मिथ्या साक्ष्य दिया है। ऐसी स्थिति में **पी0डब्लू0**–1, वादी मुकदमा हरीशचन्द्र पुत्र रामभरोसे, निवासी ग्राम–बरूआ कुठारा, थाना–माधौटाण्डा, जिला–पीलीभीत के विरूद्ध अन्तर्गत **धारा–383** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कार्यवाही संस्थित किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

अभियुक्तगण शंकर लाल पुत्र मिश्री लाल, पप्पू पुत्र शंकर लाल, विनोद पुत्र शंकर लाल, हरनाम पुत्र शंकर लाल, निवासीगण ग्राम–बरूआ कुठारा, थाना–माधौटाण्डा, जिला–पीलीभीत को, इस सत्र वाद, बाबत मुकदमा अपराध संख्या–149 / 2020, थाना–माधौटाण्डा, जिला–पीलीभीत के मामले में, उनके विरूद्ध आरोपित आरोप, अंतर्गत धारा–304 सपठित 34, 323 सपठित 34, 504 भारतीय दण्ड संहिता, से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं तथा वह न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं। अभियुक्तगण के मूल व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतनामें निरस्त किए जाते हैं तथा जमानतियों को उनके जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण की ओर से **धारा–481** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान के अनुपालन में व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतनामें प्रस्तुत किये जा चुके हैं, जो निर्णय के दिनांक

से 06 माह तक अस्तित्व में रहेंगे।

इस मामले से सम्बन्धित वस्तु यदि कोई हो, वह इस मामले में अपील की समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् अथवा उसके निस्तारण के बाद ही नियमानुसार निस्तारित हों।

पी0डब्लू0–1, वादी मुकदमा हरीशचन्द्र पुत्र रामभरोसे, निवासी ग्राम–बरूआ कुठारा, थाना–माधौटाण्डा, जिला–पीलीभीत के विरूद्ध अन्तर्गत **धारा–383** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कार्यवाही अविलम्ब संस्थित की जाये।

दिनांकः 04.06.2026

(रविन्द्र कुमार–चतुर्थ)
UPID2014
सत्र न्यायाधीश,
पीलीभीत

निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 04.06.2026

(रविन्द्र कुमार–चतुर्थ)
UPID2014
सत्र न्यायाधीश,
पीलीभीत